छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

क्र0 2740 /राजस्व/भू.अभि./2020

नवा रायपुर, दिनांक 18/09/2020

प्रति,

सर्व कलेक्टर,
जिला–..................
छत्तीसगढ़।

विषयः– **ऑनलाईन नामांतरण पंजी के सरलीकरण बाबत्।**

संदर्भः– सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का पत्र 2331/राजस्व/भू.अ./2020 दिनांक 17/07/2020

-----000----

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से नामांतरण/खाता विभाजन/अभिलेख दुरूस्ती हेतु प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि ऑनलाईन नामांतरण पंजी में ही किये जाने तथा ऑनलाईन नामांतरण पंजी में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर अवगत कराने हेतु निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त संबंध में राजस्व अधिकारियों द्वारा अवगत कराए गए तकनीकी समस्याओं का निराकरण सॉफ्टवेयर में कर लिया गया है तथा नामांतरण पंजी में सरलीकरण करते हुए निम्न व्यवस्था दी गई है–

1. नागरिक को अपने अभिलेख दुरूस्ती अथवा नामांतरण हेतु संबंधित दस्तावेज अपलोड करते हुए स्वयं ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा दी गई है।
2. नागरिक अपने अभिलेख दुरूस्ती की स्थिति ऑनलाईन देख सकते हैं।
3. नागरिक पोर्टल में नामांतरण पंजी प्रिंट लेने की सुविधा दी गई है।
4. तहसीलदार के लॉगिन में आवेदन क्रमांक के विरूद्ध आदेश पारित करने की स्थिति में आदेश लिखने तथा हस्ताक्षरिकृत आदेश अपलोड करने की व्यवस्था दी गई है।
5. तहसीलदार किसी आवेदन में आपत्ति प्राप्त हुए बिना साक्ष्य की आवश्यकता होने पर राजस्व न्यायालय में प्रकरण भेज सकते हैं।

6. पटवारी को नामांतरण पंजी में दर्ज आवेदन के विरूद्ध नामांतरण का पूर्ण ब्यौरा दर्ज करने तथा पटवारी प्रतिवेदन अपलोड करने की व्यवस्था की गई है।
7. तहसीलदार द्वारा किसी कारणवश नियत पेशी तारीख को सुनवाई नहीं की जा सकी है, तो सुनवाई हेतु आगामी पेशी तारीख दिए जाने का प्रावधान दिया गया है।

ऑनलाईन नामांतरण पंजी में प्रकरण प्रस्तुत होने पर राजस्व अधिकारी द्वारा विधिवत् वर्तमान भूमिस्वामी, प्रस्तावित भूमिस्वामी को सूचना जारी कर दावा आपत्ति प्राप्त करने हेतु ईश्तहार का प्रकाशन किया जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा विधिवत सूचना तामिल किये जाने के बाद हितबद्ध पक्षकार गैरहाजिर हो, तो भी प्रविष्टि एकपक्षीय प्रमाणित की जाए। अदमपैरवी में प्रकरण खारिज नहीं करने का प्रावधान है। अतएव स्पष्ट है कि सूचना तामिल उपरांत भी वर्तमान भूमिस्वामी के उपस्थित नहीं होने एवं कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी मौन सहमति मानी जावे तथा नामांतरण की कार्यवाही की जावे।

अतः नामांतरण/खाता विभाजन/अभिलेख दुरूस्ती के प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि ऑनलाईन नामांतरण पंजी में किया जावे। ऑनलाईन नामांतरण पंजी के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की प्रक्रियागत समस्या आने पर अवगत कराने का कष्ट करें।

R. Shandilya

(रीता शांडिल्य)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ0 क्र0 2741 /राजस्व/भू.अभि./2020 नवा रायपुर, दिनांक 18/09/2020

प्रतिलिपिः–

1. संभागायुक्त, संभाग..............................छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संचालक, भू–अभिलेख, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय उपायुक्त भू–अभिलेख रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

R. Shankar 18/9

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग